बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं0सं0–9/आ0–05–12/2021(स्वा0) ..../ पटना, दिनांकः–..................................

सिविल सर्जन, सिवान के आदेश ज्ञापांक–1655 दिनांक–06.08.2024 के द्वारा डॉ० नीता त्रिपाठी, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दरौंदा, सिवान का दिनांक–15.06.2005 से 05.08.2024 तक कर्त्तव्य पर अनुपस्थित रहने के उपरान्त विभाग से मार्गदर्शन की प्रत्याशा में डॉ० त्रिपाठी का योगदान दिनांक–06.08.2024 से इस शर्त के साथ स्वीकृत किया गया है कि इनके कार्य अवधि का वेतन स्वास्थ्य विभाग से निर्गत आदेश के फलाफल पर मान्य होगा।

2. प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, दरौंदा, सिवान के पत्रांक–381 दिनांक–28.11.2024 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि डॉ० त्रिपाठी द्वारा निलंबन अवधि में उपस्थिति दर्ज करने या जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान करने से संबंधित कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

3. सिविल सर्जन, सिवान को निदेशित किया जाता है कि डॉ० त्रिपाठी का योगदान की तिथि–06.08.2024 से योगदान स्वीकृत कर उपस्थिति एवं कार्यशैली से संतुष्ट होते हुए वेतन का भुगतान किया जाय साथ ही डॉ० त्रिपाठी के विरूद्ध दिनांक–15.06.2005 से 05.08.2024 तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में आरोप–पत्र गठित कर विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

4. उपर्युक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(उपेन्द्र राम)

सरकार के अवर सचिव।

Email

ज्ञापांक–9/आ0–05–12/2021(स्वा0) ..../ **पटना, दिनांकः–**..................................

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, (ले0 एवं हक0) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–9/आ0–05–12/2021(स्वा0) 362(9)/ **पटना, दिनांकः–** 02.04.26

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, सारण प्रमण्डल, छपरा/सिविल सर्जन, सिवान/कोषागार पदाधिकारी, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–डॉ० नीता त्रिपाठी, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दरौंदा, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वा0 विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग, के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं, बिहार पटना के निजी सहायक/प्रभारी प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2, 3, 7, 8, 17 एवं 18A स्थापना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

02/04/2026

सरकार के अवर सचिव।